भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाइल नं-: 25–एनटी (1)/2014 दिनांक:04.03.2015

## वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2/2015

विषय: ध्वंसावशेषों को हटाए जाने पर नैरोबी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन, 2007 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ध्वंसावशेषों को हटाए जाने के दायित्व के संबंध में बीमा तथा अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र को जारी किया जाना–संबंधी.

1. नैरोबी में दिनांक 18 मई 2007 को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ध्वंसावशेषों को हटाए जाने पर नैरोबी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन, 2007 (इसके बाद इसे कन्वेशन कहा गया है), अंगीकार किया गया. भारत ने 23 मार्च 2011 को कन्वेशन का परिग्रहण किया. कन्वेन्शन विश्व भर में 14 अप्रैल 2015 से लागू हो जाएगा.

2. इस कन्वेन्शन के अनुच्छेद 12 के परिच्छेद (2) में यह अपेक्षा है कि पोत पंजीकरण राष्ट्र का समुचित प्राधिकारी इस बात का सत्यापन करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करे कि हरेक 300 (तीन सौ) सकल टनभार (जीटी) और उससे अधिक वाले वाणिज्य पोत पर इस कन्वेन्शन के प्रावधानों के अनुसरण में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा प्रवृत्त होगी. उक्त प्रमाणपत्र का आरूप कन्वेन्शन के अनुलग्नक में दिया गया है.

3. भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (एमएस) अधिनियम, 1958 में समुचित संशोधन लाए जाने का प्रस्ताव है ताकि उक्त भारतीय राष्ट्रीय विधान में कन्वेन्शन के आवश्यक प्रावधानों को समाहित किया जा सके, जो कि वाणिज्य पोत परिवहन, भारत सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है, और वर्तमान में यह उन्नत अवस्था में है. पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने इस संदर्भ में निम्नवत् निर्णय लिया है:

--2

3.1. कन्वेन्शन के अनुच्छेद 12 के परिच्छेद (2) के प्रावधानों की अनुपालना में भारतीय वाणिज्य पोतों के पंजीकार यानी संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग, संबंधित भारतीय पोतों के पंजीयन के पत्तनों पर इस वापोप सूचना के साथ संलग्न आरूप के अनुसार (अनुलग्नक-1: 1 पृष्ठ) ध्वंसावशेषों को हटाए जाने हेतु दायित्व के संबंध में बीमे या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाणपत्र (सीआईओएफएस) जारी करेगा.

3.2. भारतीय वाणिज्य पोत स्वामी उक्त सीआईओएफएस को जारी किए जाने के लिए अपने वाणिज्य पोतों के पंजीयन के पत्तनों पर सवावि को आवेदन करेगा, आवेदन के साथ प्रयोजनीय शुल्क और बीमा प्रमाणपत्रों की विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करेगा ( यानी बीमे के ब्लू कार्ड), इन्हें वह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर औपचारिक रूप से अनुमोदित रूप में पीएन्डआई (प्रोटेक्शन एन्ड इन्डेम्निटी) क्लबों तथा अन्य बीमा कंपनियों के इन्टरनेशनल ग्रुप (आईजी) द्वारा जारी किए गए बीमे के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करेगा, जो कि वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों की पत्तनों, लंगरगाहों और अपतटीय केन्द्रों में प्रवेश का विनियम), नियमावली, 2012 (पीईआर, 2012) के प्रावधानों के अंतर्गत मान्य हो. उक्त सीआईओएफएस को जारी किए जाने के लिए ऐसे प्रमाणपत्र स्वीकारे जाएंगे. पीईआर, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित बीमा कंपनियों की सूची इस कार्यालय की सरकारी वैबसाइट (www.dgshipping.gov.in) पर दी गई है.

3.3. बीमे के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया गया उक्त प्रमाणपत्र (यानी बीमे का ब्लू कार्ड) इलेक्ट्रॉनिक आरूप में है जो कि भारतीय वाणिज्य पोतों के पंजीकारों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है, उसे सीआईओएफएस जारी किए जाने के लिए स्वीकारा जाएगा.

3.4. उक्त सीआईओएफएस जारी किए जाने के प्रयोजन से 5000/- रुपए (पांच हज़ार रुपए मात्र) का प्रशासनिक शुल्क लिया जाएगा.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(कप्तान के पी जयकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार,
भारत सरकार

संलग्न: यथोक्त